

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 106/2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रूगनाथराम पुत्र भूराराम 2. सांवलाराम पुत्र भूराराम 3. ठाकराराम पुत्र भूराराम 4. हीरोंदेवी पत्नि भूराराम जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. गोधूराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम 2. जोगाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम 3. राउराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम 4. हिमथाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम 5. अचलाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम 6. भोमाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम 7. गवरीदेवी पत्नि टीकूराम उर्फ टीकमाराम 8. वीरोंदेवी पुत्री टीकूराम उर्फ टीकमाराम 9. हरखूदेवी पुत्री टीकूराम उर्फ टीकमाराम जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 10. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हाल स्टे ऑफ इण्डिया शाखा भूका भगतसिंह जिला बालोतरा 11. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 11 पैरोकार उपस्थित, शेष एकतरफा।

निर्णय



दिनांक— 19.08.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि मौजा— सरेली की ढाणी पटवार
हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 467 रकबा 12.3939 हैक्टेयर, खसरा सं. 490

सहायक कलक्टर
सिणधरी

रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 491 रकबा 4.1583 हैक्टेयर, खसरा सं. 511 रकबा 11.3584 हैक्टेयर व खसरा सं. 520 रकबा 2.4755 हैक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 24.04.2025 को प्राथमिक रूप से रवीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटर एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीगण अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को रवीकार भी किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से रवीकार किया जाकर मौजा- सरैली की ढाणी पटवार हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 467 रकबा 12.3939 हैक्टेयर, खसरा सं. 490 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा सं. 491 रकबा 4.1583 हैक्टेयर, खसरा सं. 511 रकबा 11.3584 हैक्टेयर व खसरा सं. 520 रकबा 2.4755 हैक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	ठाकराराम हि. 1/4, रूगनाथराम हि. 1/4, सांवलाराम हि. 1/4 पुत्र भूराराम, हीरोदेवी पत्नि भूराराम 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन- ठाकराराम का हिस्सा SBI शाखा भूका भगत सिंह	सरैली की ढाणी	467	6.1970	वा. सो		वैगनी
			491	0.4773	वा.दो		
			491	1.6140	वा.दो		
			511	5.6792	वा.सो		
			520	1.2377	वा.दो		
		कुल	5	15.2052			
2.	अचलाराम हि. 1/9, गोधूराम हि. 1/9, जोगाराम हि. 1/9, भोमाराम हि. 1/9, राउराम हि. 1/9, हिमथाराम हि. 1/9 पुत्र टीकराम उर्फ टीकमाराम, गवरीदेवी पत्नि टीकराम उर्फ टीकमाराम हि. 1/9, वीरोदेवी हि. 1/9 हरखूदेवी हि. 1/9 पुत्रीया टीकराम उर्फ टीकमाराम जाति जाट सा. देह खातेदार	सरैली की ढाणी	467	2.1115	वा.सो.		गुलाबी
			467	4.0854	वा.सो		
			490	0.0243	गै.मु. ढाणी		
			491	2.0670	वा.दो.		
			511	5.6792	वा.सो.		
			520	1.2378	वा.दो.		
		कुल	6	15.2052			

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्या मुर्तिव जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 19.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी